

प्ररूप-2 क
(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग-1 या भाग-2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग-1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति का नाम उसका डाक पता.....

..... उसका नाम

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम संख्या पर प्रविष्ट है।

.....

तारीख

(प्रस्थापक का हस्ताक्षर)

भाग-2

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 22 - अजिंथारपुर - सामाव्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम फूलबानु सिंह

पिता/माता/पति का नाम रामचंद्र सिंह उसका डाक पता ग्राम - साल्नी पोस्ट - अजिंथारपुर -

..... देवुआ चाना - अजिंथारपुर जिला - समस्तीपुर उसका नाम 22 - अजिंथारपुर - सामाव्य

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समविष्ट 134 - अजिंथारपुर - सामाव्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 6 में क्रम सं० 107 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में, जैसे की नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नाम निर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर ।

प्रस्थापक का निर्वाचन नामावली संख्यांक				पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचन नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1	134- उज्जिनारपुर	6	444	उमेश पांडे	उमेश पांडे	15/04/2014
2	134 उज्जिनारपुर	6	230	रामउदगार महता	रामउदगार महता	15/4/2014
3	134 उज्जिनारपुर	6	401	कैलाश पांडे	कैलाश पांडे	15/04/2014
4	134 उज्जिनारपुर	6	758	नरेश पासवान	नरेश पासवान	15/4/2014
5	134 उज्जिनारपुर	8	787	रामशकल सिंह	रामशकल - सिंह	15-4-2014
6	134 उज्जिनारपुर	8	977	मोहमद फिरोज	मोहमद फिरोज	15/4/2014
7	134 उज्जिनारपुर	7	301	रामदुलार सिंह	रामदुलार सिंह	15-4-2014
8	134 उज्जिनारपुर	6	1095	राज कुमार सिंह	राज कुमार सिंह	15-4-2014
9	134 उज्जिनारपुर	6	838	आमोद कुं सिंह	आमोद कुं सिंह	15/4/2014
10	134 उज्जिनारपुर	65	1351	आमोद कुमार सिंह	आमोद कुमार सिंह	15-4-2014

कृपया ध्यान दें :- प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

भाग-3

मैं ~~भाग-1~~ /भाग-2 (जो लागू न हो, उसे काट दें) में वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि :-

- (क) मैंने37..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है;
(नीचे ख (i) या ख(ii) में से जो लागू न हो, उसे काट दें)
- (ख) (i) मुझे इस निर्वाचन मेंX..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपर्युक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।
या
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लैनिनिस्ट) लिबरेशन
(ii) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र ~~अभ्यर्थी~~ के रूप में लड़ रहा हूँ; (जो लागू न हो, उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं, वे अधियान क्रम में (i)कंडे पर तीन तारा.....
(ii)X..... (iii)X..... हैं।
- (ग) मेरा नाम और मेरे पिता/मृता/प्रति का नाम ऊपरदेवनागरी (हिन्दी)..... (भाषा का नाम) में सही रूप में लिखा जा गया है।
- (घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने हेतु चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।
मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ** जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जोX..... राज्य के उस राज्य में केX..... (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचितX..... ** जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में से दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ** नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 15/04/2014

फूलबाबु सिंह
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में "मैं समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

*** जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें- "मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

क्या अभ्यर्थी को -

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,
जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

हाँ/ नहीं

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :-

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक X
- (ii) पुलिस थाना(थाने) X जिला(जिले) X राज्य X
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था X
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें) X
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया X
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने(जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें X
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) X
- (viii) क्या उपर्युक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील(अपीले)/पुनरीक्षण फाईल किए गये थे : हाँ/नहीं
- (ix) फाईल की गए अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण-आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ X
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील(अपीलों)/पुनरीक्षण-आवेदन फायल किए गए थे X
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वें लंबित हैं X
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदन) निपटारा हो गया है, तो -
(क) निपटारा की तारीख (तारीखें) : X
(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) : X

स्थान : अमरसोपुर

तारीख : 15/04/2014

फूलबाबु सिंह
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

(5)

भाग-4

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जायेगा)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं० 01

यह नामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में 15-04-2014 (तारीख) को 1.57 PM (बजे) *अप्रत्या/ प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख : 15.4.2014

* जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिये ।

निर्वाची पदाधिकारी
22-जुझारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
(रिटर्निंग ऑफिसर)

बपद समाहर्ता समस्तीपुर

भाग-5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहित या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ -

तारीख :

(रिटर्निंग ऑफिसर)

(छिद्रण)

शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप
(भारत के संविधान अनुच्छेद 84(क))
(संसदीय निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

..... फूलवाकु सिंह जो लोक सभा में स्थान भरने के लिए
अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ/लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान
करता हूँ/करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा
रखूँगा/रखूँगी एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा/रखूँगी।

फूलवाकु सिंह

उम्मीदवार का हस्ताक्षर
और बड़े अक्षर में नाम

श्री/श्रीमती फूलवाकु सिंह मैं आज तारीख 15-6-14 के पूर्वाह्न/अपराह्न
2-25 बजे अपरसमाहर्ता सह निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय (स्थान) में मेरे सामने
ईश्वर के नाम पर शपथ ली/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम :- श्री 0 मोहिन अली अंसारी

पदनाम :- अपरसमाहर्ता सह निर्वाचन पदाधिकारी

मुहर :- निर्वाचन पदाधिकारी सह निर्वाचन क्षेत्र

22-उजियारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

--सह--

अपरसमाहर्ता नमस्

यहाँ से फाड़े



भारत STAFF DUTY बिहार
 00000 JUDICIAL
 3753 12 BIHAR
 INDIA *Zero*Zero*Zero*Zero*One*Zero*Zero*

Authorized as per (c) of the Code
 of Criminal Procedure 1973
 (art. 20-B of 1974)

“प्ररूप 26”
 (नियम 4क देखिए)



22-उजियारपुर - सामान्य

निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला

Samastipur
 Gov. of Bihar
 4750

भाग-क

में फूलबाबू सिंह **पुत्र/पुत्री/पत्नी रामचंद्र सिंह आयु 37 वर्ष,

जो का.मालती पो. मन्नावातपुर, देसुआ, भा. उजियारपुर, जिला-समस्तीपुर (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

- (1) मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के सदस्य हूँ/हूँ (**)राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतन्त्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। निर्वाचन (**जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम 134-उजियारपुर-सामान्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 6 के क्रम सं. 107 पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9431616365 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) Phoolbabu Singh mukhiya@yahoo.com है।
- (4) स्थाई लेख संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1.	स्वयं	शून्य	शून्य	शून्य
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य



- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं।
यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-
- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	मुसरोयरी भावाकाष्ठ सं-54/97, फलीसिराम भावा काष्ठ सं-456/013 जिला-समस्तीपुर बिहार
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	147, 148, 149, 307 & 27 आर्म्स एक्ट 147, 341, 323, 427, 380, 504
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	मुसरोयरी न्यायालय, सक्षम अधिकारी समस्तीपुर S.T.N.-24/2001 संज्ञान की तारीख 1/06/1998
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विवरण की गई	मुसरोयरी न्यायालय, सक्षम अधिकारी, समस्तीपुर अनुपम न्यायाधीश, सक्षम अधिकारी, समस्तीपुर
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	1/06/1998 S.T.N.-24/2001
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकੀ गई है/हैं	नहीं

- (ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिखा गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिखा गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नहीं

- (6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) 1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :-
..... यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:
निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम (Movable) और स्थावर (Immovable) आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम (Movable) आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं. रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और खाता सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक पतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	50000/-				
(ii)	बैंक खाता में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, अतिरिक्त जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	भारतीय स्टेट बैंक मुजिफरापुर A/C- 31444631102 -36285/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक विधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों/सूचियों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	सहायक इंडिया समस्तीपुर - - 30000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत; बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	श्री. जय. सी. समस्तीपुर 100000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/ अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(vi)	मोटरयान/ वायुयान/ वाट/ पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	हीरो होवा 2प्ले VSR BR-33D 6596 कीमत-42000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शोना-2ग्राम कीमत-3500/-	शोना-5ग्राम चाँदी-100ग्राम कीमत-12000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	261785	12000/-	शून्य	शून्य	शून्य

ख. स्थावर (Immovable) अस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण (e) - भुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ))	स्वामियानी खेता खेसरा 299 2593 2602 2758 2759	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	3282 2711 95 St. 2798	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वभजित संपत्ति की प्रकृति का वर्णन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या कोई संपत्ति लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क्रय की दृष्टि में)					
	विकास सौभाग्य आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियाँ सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ))	स्वामियानी खेता खेसरा 299 2763 2764	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1000 वर्गफुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	700000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	पक्का प्रकार थाला क्षेत्र 55 556	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	4500 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1550 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	05/03/2012	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	450000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1100000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	1800000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8. मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों (dues) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य (lone or dues) बैंक या वित्तीय संस्था का नाम बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	बिहार ग्रामीण बैंक, प्रगवाबपुर दुधुआ (उजिप्रक) A/C No-82- 000829888 -25000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त संस्था के किसी अन्य व्यापक निकाय को ऋण या शोध्य नाम बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	25000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शून्य				
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य				
7. का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8.	आस्तियों और ऋणों के ब्यौरे (रूप में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	चलान (Movable) आस्तियां (कुल)	116285/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख.	स्थायर (Immovable) आस्तियां					
	(I) स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	450000/- 42000/-	12000/-	शून्य	शून्य	शून्य
	(II) क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	650000/-				
	(III) अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	1142000/-	12000/-	शून्य	शून्य	शून्य

	(क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	1142000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	700000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दायित्व					
	(i) सरकारी शोध्य (dues) कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	25000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	एक दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध्य (dues) कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें) मैट्रिक - राजकीय उच्च विद्यालय - गंगापूर - बिहार विद्यापीठ, पटना - 1991, इंटर - समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर बिहार इंस्टीट्यूट शिक्षा परिषद, पटना - 1993, स्नातक कला - ललित नारायण प्रिविटा विश्वविद्यालय परभंगा - 2004, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान - ललित नारायण प्रिविटा विश्वविद्यालय परभंगा - 2006 पीएच.डी. 2008 - चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय प्ररभंगा, उत्तर प्रदेश पीएच.डी. ललित नारायण प्रिविटा विश्वविद्यालय परभंगा - अखण्डनगर					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है मैं इस घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 15/04/2014 को सत्यापित किया गया।

Subscribed before me on the 15th day of April 2014
 at Phool Babu Singh who has
 been identified by - R. Kumar
 Advocate, Samastipur

अभिसाक्षी
 अभिसाक्षी ने मेरे सामने
 साक्षी के रूप में ए.सी.ए.सी.
 9-11-14
 श्री केशव कुमार
 एन०-713/4 Samastipur
 15/4/14

NOTARY
 SAMASTIPUR

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण 6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 9431616365

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है ... Phool babu Singh mukhiya @ yahoo.com

एवं मेरा सोशल एकाउंटस (अगर कोई हो) है